झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में

सी.एम.पी. संख्या 460/2019

साईं इंटरनेशनल, साझेदारी फर्म, जिसका प्रतिनिधित्व संजय वर्मा उर्फ संजय सत्यानंद वर्मा कर रहे हैं, उम्र लगभग 55 वर्ष, पिता- सत्यानंद वर्मा, फर्म के साझेदार, निवासी- ई301, सिल्वर टॉवर ठाकुर कॉम्प्लेक्स, डाकघर और थाना कांदिवली, पूर्वी मुंबई-400101

... ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य
2. प्रधान सचिव, खान विभाग, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस, डाकघर एवं थाना- डोरंडा, जिला रांची, झारखंड।
3. निदेशक, खान, झारखण्ड सरकार, नेपाल हाउस, डाकघर एवं थाना- डोरंडा, जिला रांची, झारखंड।
4. जिला खनन पदाधिकारी, गिरिडीह, डाकघर एवं थाना- गिरिडीह, जिला गिरिडीह
5. उपायुक्त, गिरिडीह, डाकघर एवं थाना- गिरिडीह, जिला गिरिडीह
6. नंद गोपाल सिंह पिता- स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद सिंह निवासी- रजवाड़ी डाकघर एवं थाना- जामताड़ा, जिला जामताड़ा, झारखंड

... ... उत्तरदातागण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती अनुभा रावत चौधरी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री आनंद कुमार सिन्हा, अधिवक्ता

निजी उत्तरदाताओं की ओर से : सुश्री चंदना कुमारी, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री राकेश कुमार राय, अधिवक्ता

08/05.08.2022

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि वर्तमान याचिका डब्ल्यूपी(सी) संख्या 6462/2016 की पुनर्बहाली के लिए दायर की गई है। इसकी मूल फ़ाइल में, जो हटाने के कारण खारिज कर दी गई थी

25.04.2019 की त्रुटि। उन्होंने कहा कि जिस दिन मामला सूचीबद्ध था, उस दिन इसे चिह्नित नहीं किया जा सका और इस कारण याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि वर्तमान याचिका डब्ल्यूपी(सी) संख्या 6462/2016 को मूल फ़ाइल में बहाल करने के लिए दायर की गई है, जो दोष दूर नहीं किए जाने के कारण 25.04.2019 को खारिज कर दी गई थी। उन्होंने कहा कि जिस दिन मामला सूचीबद्ध था, उस दिन इसे चिह्नित नहीं किया जा सका और इस कारण याचिकाकर्ता की ओर से पेश होने वाले वकील अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।

3. विद्वान अधिवक्ता ने यह भी उल्लेख किया है कि देरी की माफ़ी के लिए तथा यह निवेदन करने के लिए आई.ए. संख्या 6387/2019 प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने पहले के वकील से "अनापत्ति" ली थी और नए वकील को संक्षिप्त जानकारी दी थी, लेकिन मामला सूचीबद्ध नहीं था और बाद में, उन्हें पता चला कि मामला खामी दूर न करने पर बर्खास्त कर दिया गया है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी प्रस्तुत किया कि वाद हेतुक अभी भी जीवित है और यदि रिट याचिका को उसकी मूल फाइल में बहाल नहीं किया जाता है, तो याचिकाकर्ता को अपूरणीय क्षति होगी।

4. वर्तमान मामले में विरोधी पक्षों द्वारा कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है। हालांकि, निजी विरोधी पक्ष के विद्वान वकील ने प्रार्थना का विरोध किया है।

5. राज्य के विद्वान अधिवक्ता को रिट याचिका की बहाली के लिए की गई प्रार्थना पर कोई गंभीर आपत्ति नहीं है।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं त्रुटि को दूर न करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा दर्शाए गए कारण से संतुष्ट होने पर यह याचिका स्वीकार की जाती है तथा रिट याचिका डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 6462/2016 निम्नलिखित शर्तों के अधीन अपनी मूल फ़ाइल में बहाल किया जाता है: -

(i) याचिकाकर्ता 02.09.2022 तक रिट याचिका में जीवित दोषों को दूर करेगा।

(ii) याचिकाकर्ता आज से 15 दिनों के भीतर झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में 5,000 / - रुपये की लागत जमा करेगा।

7. लंबित I.A समाप्त किया जाता है।

(अनुभा रावत चौधरी, जे.)

मुकुल